कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.)

।। आदेश ।।

क्रमांक 447 / दो–12–14 / 24 (फा.20), उज्जैन दिनांक 09 जून–2025

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के आदेश कमांक–960 / गोप. / दो–2–1 / 2025, दिनांक 15.05.2025 के द्वारा श्री अरविंद प्रतापसिंह चौहान को विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज एक्ट उज्जैन के पद पर पदस्थ किया जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश कमांक–314 दिनांक 05.03.2025 द्वारा गठित क्रय समिति आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :–

1– श्री अरविंद प्रतापसिंह चौहान, विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज एक्ट, उज्जैन। – अध्यक्ष

2– श्री संजय श्रीवास्तव, पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, उज्जैन। – सदस्य

3– श्री हर्ष भदौरिया, षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, उज्जैन। – सदस्य

4– श्री अमित कुमार गुप्ता, सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, उज्जैन। – सदस्य

(राजेश कुमार गुप्ता)
प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

5869–5883
पृष्ठां. क्र./ दो–12–14 / 24 (फा.29), उज्जैन दिनांक.....जून–2025
- 9 JUN 2025

प्रतिलिपि –

1. श्री अरविंद प्रतापसिंह चौहान, विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज एक्ट, उज्जैन।
2. श्री संजय श्रीवास्तव, पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, उज्जैन।
3. श्री हर्ष भदौरिया, षष्ठम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, उज्जैन।
4. श्री अमित कुमार गुप्ता, सप्तम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, उज्जैन।
5. प्रशासनिक अधिकारी / कोर्ट मैनेजर / लेखापाल / सहा0 लेखापाल–प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ, कार्यालय प्रधान जिला न्यायालय, उज्जैन।
6. ग्रंथपाल / सांख्यिकी अनुभाग / देयक लिपिक / जिला नाजिर, जिला न्यायालय, उज्जैन।

.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)